न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

........**प्रार्थी**

बनाम

श्री जसवन्त रावत पुत्र श्री रामदेव रावत

बन्दिया गांव तहसील अजमेर पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री अनुज टांक अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक **28.05.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.2024 को अवैध गैस रिफिलिंग की मुखबीर सूचना पर बन्दिया गांव, अजमेर अवैध गैस रिफिलिंग शिकायत की जांच के संदर्भ में उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक, शीला बेनीवाल, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जसवन्त रावत पुत्र रामदेव रावत, निवासी बन्दिया के बाडे पर पहुँचे। जहां मौके पर 21 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर 222.06 किग्रा व 03 (इलेक्ट्रिक अवैध रिफिलिंग मशीन) मोटर पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1) (सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स राजधारा इण्डेन गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री मोहम्मद इसराइल पुत्र श्री मोहम्मद सलीम को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया –

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	0232295	SEALD BPCL	15.8	29.6	13.8
2	232711	SEALD BPCL	16.0	29.9	13.9
3	783026	SEALD BPCL	16.0	29.5	13.5
4	73118S	SEALD BPCL	15.5	28.5	13.0

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

5	277777S	SEALD BPCL	15.8	30	14.2
6	674496S	SEALD BPCL	15.7	29.6	13.9
7	121591	SEALD BPCL	15.6	29.6	14.0
8	470428T	SEALD BPCL	16.2	30.2	14.0
9	540963J	SEALD BPCL	15.2	29.3	14.1
10	548611T	SEALD BPCL	15.7	29.9	14.2
11	202203S	SEALD BPCL	15.9	28.9	13.0
12	560038	SEALD BPCL	15.6	29.5	13.9
13	128257	SEALD BPCL	15.8	29.5	13.7
14	600662S	SEALD BPCL	15.8	29.7	13.9
15	059922	SEALD BPCL	15.3	29.4	14.1
16	095694	SEALD BPCL	15.6	29.5	13.9
17	015627	SEALD BPCL	16.0	16.0	0
18	162494	SEALD BPCL	16.2	16.2	0
19	0050987	SEALD BPCL	15.5	17.0	1.5
20	83267	SEALD BPCL	16.1	16.1	0
21	505811S	SEALD BPCL	15.7	15.7	0
		कुल एल.पी.जी			222.6

*सिलेण्डर को मैसर्स राजधारा इण्डेन गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री मोहम्मद इसराइल पुत्र श्री मोहम्मद सलीम को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 21 घरेलू गैस सिलेण्डर 222.06 किग्रा एलपीजी एवं 03 (इलेक्ट्रिक अवैध रिफिलिंग मशीन) को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के बाडे से 21 एल.पी.जी घरेलू गैंस सिलेण्डर 222.06 के.जी. व 3 इलेक्ट्रीक रिफलिंग मोटर जब्त किये जाने का कथन परिवाद में किया गया है, लेकिन जिस जगह से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त गैंस सिलेण्डर जब्त करना बताया गया उसके स्वामित्व व हक से सबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न नहीं किये गये है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.08.2024 को समय 12.15 पी.एम पर जो फर्द मौका जप्ती बनाई गयी है उसमें जिन गवाहों से उक्त फर्द मौका जप्ती की ताहिद की गयी है व इण्डियन गैस एजेंसी के कार्मिक है जो कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी के अप्रत्यक्ष रूप से कार्मिक ही है उक्त गवाहो को स्वतंत्र गवाहो के रूप में नहीं देखा जा सकता है जबकि उक्त फर्द मौका जप्ती बनाते समय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ग्राम बंदीया से या मौके के आस पास से किसी भी स्वतंत्र गवाह को फर्द मौका व जप्ती में गवाह नहीं बनाया गया और ना ही बनाया जाने के लिए कोई प्रयास किया गया, उक्त फर्द मौका व जप्ती पर खाली कागज पर प्रार्थी की पत्नी शिला देवी व उसके पुत्र समीर के जो कि बहुत कम पढे लिखे है जिनको क्या कार्यवाही हो रही है इस सबंध में काई जानकारी नहीं है के हस्ताक्षर करवाने गये। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आगे अनुसंधान/जांच के दौरान इस तथ्य का भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि जप्तशुदा गैस सिलेण्डर किन व्यक्तियो के नाम से जारी किये गये है तथा ना ही उन व्यक्तियों से कोई पूछताछ की गयी है वह जप्तशुदा रिफलिंग मोटर के सबंध में भी कोई दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर संलग्न नहीं किये गये है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके व जप्तशुदा सिलेण्डर व रिफलिंग मोटर के स्वामित्व के जांच के अभाव में तथा उनके स्वामित्व के दस्तावेजों के अभाव में घटना की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी के अभाव में व स्वत्रंत गवाहों के अभाव में तथा उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेजो को पत्रावली पर क्यों नही किया गया के स्पष्टीकरण के अभाव में तथा प्रार्थी स्वयं उक्त घटना की दिनांक को मौके पर नहीं था और ना ही उक्त जप्तशुदा सिलेण्डर आर्टिकल प्रार्थी के कब्जे से जप्त किये गये है ऐसे में प्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संदेह के घेरे में होने से प्रार्थी को उक्त प्रकरण में दोष मुक्त करने के आदेश न्यायहित में पारित करें।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.08.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 21 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 222.06 किग्रा एलपीजी भण्डारित पाया। साथ ही 03 इलेक्ट्रिक अवैध रिफिलिंग मशीन पाई गई। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 21 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 222.06 किग्रा एलपीजी एवं 03 इलेक्ट्रिक अवैध रिफिलिंग मशीन को राजसात फरमावें।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी के बाड़े में 21 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 इलेक्ट्रिक मोटर मिलना एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना सिद्ध होता हैं। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 13.08.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 21 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय 222.06 किग्रा एलपीजी एवं 03 इलेक्ट्रिक अवैध रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर